उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1
संख्या : 33/2026/882/94-1-2026-312(136)/2023
लखनऊ, दिनांक : 21 मई, 2026

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से-

(क) नीचे अनुसूची में दिए गये राजस्व ग्रामों/ मुहल्लों को सम्मिलित करके जिला फिरोजाबाद में निबन्धन उप जिला ''शिकोहाबाद'' की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, तथा

(ख) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों/ मुहल्लों के क्षेत्रों को अपवर्जित करके जिला फिरोजाबाद के निबन्धन उप जिला 'जसराना' की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं।

अनुसूची

जिला फिरोजाबाद के निबन्धन उप-जिला 'जसराना' से अपवर्जित किये गये एवं जिला फिरोजाबाद के निबन्धन उप-जिला ''शिकोहाबाद'' में सम्मिलित किये गये 70 ग्रामों/ मुहल्लों की सूची-

1	शेखपुरा	29	फरीदावरौली	57	नगलाजाट
2	शेखूपुरहाथवन्त	30	भकारि	58	घुनपई
3	पौहपगढ़	31	जलालपुर	59	इन्दरई
4	नगलाकिरार	32	दपामई	60	विल्टीगढरघोल
5	निकाऊ	33	श्यावरी	61	विल्टीगढदेवजीत
6	प्रतापपुर	34	दरगपुर	62	नगलाहरिया
7	भगवन्तपुर (गैरआवाद)	35	बवाईन	63	भामई
8	नन्दपुर	36	कनवारा	64	वझेराखुर्द
9	नगलाकेशों	37	पथरौआ	65	सन्दलपुर
10	अकबरपुरगीतमसिंह	38	गढौरा	66	खरगपुर
11	बनीपुरा	39	कलूपुरा	67	जखारा
12	सांथी	40	सरमई	68	नगलाकांसमजराभामई
13	गढियाशिकमीखैरगढ़	41	रैपुरा	69	भीकनपुरसाँखिनी
14	नगलाखैय्यातान	42	सांखिनी	70	रहना
15	लालई	43	दुगना		
16	खैरगढ़	44	शोभनपुर		
17	जरौली	45	कटैनाहर्षा		
18	नयाबांस	46	हुसैनपुरगढिया		
19	नगलाहिम्मत	47	थानूमई		
20	बैरनीसनौरा	48	दिनौलीगौरवा		
21	रढौआ	49	बछलई		
22	खेरियाशिकमीफरीदा	50	हुसैनपुरजगे		
23	कुढी	51	पडरिया		
24	विजौली	52	बनवीरपुरकुढी		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

25	पृथ्वीपुर	53	फतेहपुरकटैना		
26	नगलासकटू	54	नायकपुर		
27	वरौली	55	कुशुआमई		
28	केशोंपुर	56	वदनपुर		

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जिसने अभी तक पूर्वोक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया हो, में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 33/2026/882(1)/94-1-2026-312(136)/2023 दिनांक : 21 मई, 2026

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे **दिनांक 21 मई, 2026** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 33/2026/882(2)/94-1-2026-312(136)/2023 दिनांक : 21 मई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र०, कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र०, लखनऊ।
6. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
7. मण्डलायुक्त, आगरा।
8. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, इटावा।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, आगरा मण्डल, आगरा।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, फिरोजाबाद।
12. विधायी अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Stamp evam Registration Anubhag-1

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 33/2026/882/94-1-2026-312(136)/2023 dated 21 May, 2026:

Notification

No. 33 /2026/882/94-1-2026-312(136)/2023

Lucknow; Dated : 21 May, 2026

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, is pleased to,—

(a) alter the limits of registration sub-district "Shikohabad" in district Firozabad by including revenue villages/ mohallas given in the Schedule below; and

(b) alter the limits of registration sub-district Jasrana of district Firozabad by excluding the areas of revenue villages/ mohallas given in the Schedule below.

Schedule

List of 70 Villages/Mohallas excluded from the registration sub-district 'Jasrana' of District Firozabad and included in registration sub-district "Shikohabad" of District Firozabad-

1	Shekhapura	29	Freeda Varoli	57	Nagla Jat
2	Shekhupur Hatwant	30	Bhakari	58	Gunapai
3	Pohapgara	31	Jalalpur	59	Indari
4	Nagla Kirar	32	Dapamai	60	Viltigarh Ragool
5	Nikau	33	Shyawari	61	Viltigarh Devjeet
6	Pratappur	34	Dargpur	62	Nagla Hariya
7	Bhagawantpur (Gerabad)	35	Bavaien	63	Bhamai
8	Nandpur	36	Kanvara	64	Bajhera Khurda
9	Nagla Keisho	37	Patharaua	65	Sandalpur
10	Akabarpur Geetamsingh	38	Gadhaura	66	Kharaghapur
11	Banipura	39	Kalopura	67	Jakhara
12	Santhi	40	Sarmai	68	Nagla Kansh Majra Bhamai
13	Garia Shikmi Khergarh	41	Raipura	69	Bhikanpur Shankhini
14	Nagla Khayytan	42	Shakhini	70	Rahana
15	Lalai	43	Dugana		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	Khairgarh	44	Shobhanpur		
17	Jaroli	45	Kataina Harsha		
18	Naya Bansa	46	Husainpur Gadiya		
19	Nagla Himmta	47	Thanoomai		
20	Bairni Sanaura	48	Dinauli Gauraba		
21	Radhoaa	49	Bachalai		
22	Kheriya Shikami Farida	50	Husainpur Jage		
23	Kudhi	51	Padariya		
24	Vijoli	52	Banveerpur Kudhi		
25	Prathvi Pur	53	Fhatepur Kataina		
26	Nagla Sakato	54	Nayakpur		
27	Varoli	55	Kusuaamai		
28	Kenshopur	56	Vadanpur		

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding which has already commenced or is pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the aforesaid areas.

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।